

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237374
SG-DL-E-20072022-237374

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2022/आषाढ़ 28, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 194
No. 367]	DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2022/ASHADHA 28, 1944	[N. C. T. D. No. 194

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

फा. सं. 17/01/2012/प्रभा. सु./4239-4288.—समय-समय पर यथासंशोधित इस विभाग की दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या फा. 17/6/2001/प्रशा. सु./10857-11158 तथा दिनांक 15 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना सं. फा. 17/6/2001/प्रशा. सु./17587-886 के आंशिक आशोधन में तथा दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम सं. 7) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा इन विभागों अर्थात् क्रमशः गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (क्रम सं. 38) एवं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (क्रम सं. 77) सहित सतर्कता निदेशालय के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संबंधित अधिसूचनाओं के साथ संलग्न अनुलग्नक-I एवं परिशिष्ट-I में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

संशोधन:—

1. दिनांक 03-10-2001 की अधिसूचना के अनुलग्नक-I में;

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्।

क्र. सं.	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
38	गृह विभाग	उप सचिव (गृह-I), गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में।

2. दिनांक 15-11-2002 की अधिसूचना के परिशिष्ट -I में;

क्र. सं.	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
77	सतर्कता विभाग	उप सचिव/सहायक निदेशक-III, सतर्कता निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में।
		उपायुक्त (प्र.नि.शा.), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित मामलों के संबंध में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव यदुवंशी, अपर मुख्य सचिव

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th July, 2022

F. No. 17/01/2012/AR/4239-4288.—In partial modification of this Department's Notification No. F. 17/6/2001/AR/10857-11158 dated the 3rd October, 2001 and No. F.17/6/2001/AR/17587-886 dated 15th November, 2002 as amended from time to time and in exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Delhi Right to Information Act 2001 (Delhi Act No. 7 of 2001), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in Annexure-I and Appendix-I annexed to the respective notifications for the purpose of the said Act, in respect of the Departments i.e. Home Department, Government of National Capital Territory of Delhi (S. No. 38) and Directorate of Vigilance including Anti Corruption Branch, Government of National Capital Territory of Delhi (S. No. 77) respectively.

Amendments:-

1 In Annexure-I to the Notification dated 03-10-2001;
the following shall be substituted, namely.

Sl. No	Name of the Department	Competent Authority
38.	Home Department	Deputy Secretary (Home-I), in respect of matters relating to Home Department, Govt. of NCT of Delhi.

2 In Appendix-I to the Notification dated 15-11-2002;

Sl. No	Name of the Department	Competent Authority
77	Directorate of Vigilance	Deputy Secretary/Assistant Director-III, in respect of matters relating to Directorate of Vigilance, Govt. of NCT of Delhi.
		Deputy Commissioner (ACB), in respect of matters relating to Anti Corruption Branch, Govt. of NCT of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

RAAJIV YADUVANSHI, Addl. Chief Secy.